पत्र संख्या : 7ब/2701 गै०यो०ज०सं०–04/2016..........313

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 27-03-17

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2701– मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 07–मध्यम सिंचाई परियोजना	**56.875**

कुल आवंटित राशि – रुपये छप्पन लाख सतासी हजार पॉच सौ मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट उपबंध राशि **₹** 9595.08 लाख **(पंचानबे करोड़ पंचानबे लाख आठ हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि॰) दि॰15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा॰ अभि॰

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय।राशि का प्रत्यार्पन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 30 मार्च 2017** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

*नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (**http://www.wrdjharkhand.nic.in)** पर भी उपलब्ध है।*

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 27/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 313 रॉची, दिनांक :– 27-03-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/जमशेदपुर/सरायकेला–खरसांवा सहित राज्य के **सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev 27/3

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 313 रॉची, दिनांक :– 27-03-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	Sukhdev 27/3 (सुखदेव सिंह)
सहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

पत्रांक 313 दिनांक 27-3-17 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2016–2017		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49N270103001070101	49N270103001070110	49N270103001070112	49N270103001070213	49N270103001070315	49N270103001070316	49N270103001070323	49N270103001070333	49N270103001070334	49N270103001070337	49N270103001070442	49N270103001070760		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	पूर्व का आवंटन	235.460	0.000	0.500	2.200	1.550	0.000	0.550	0.350	0.075	0.000	2.600	0.050	243.335	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.300	
		कुल आवंटन	235.460	0.000	0.500	2.200	1.550	0.000	0.550	0.350	0.075	0.000	2.900	0.050	243.635	
2	मुख्य अभि0 यांत्रिक, राँची	पूर्व का आवंटन	28.000	0.000	0.000	0.200	1.200	0.000	0.700	0.400	0.000	0.700	0.900	0.000	32.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.250	0.530	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	1.120	
		कुल आवंटन	28.000	0.000	0.250	0.730	1.200	0.000	0.740	0.400	0.000	0.700	1.200	0.000	33.220	
3	जलपथ अंचल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	96.600	0.000	0.200	0.400	0.550	0.000	0.000	0.080	0.225	1.000	0.900	0.000	99.955	
		अतिरिक्त आवंटन	4.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.050	
		कुल आवंटन	100.600	0.000	0.200	0.400	0.600	0.000	0.000	0.080	0.225	1.000	0.900	0.000	104.005	
4	अग्रिम योजना प्र0 साहेबगंज	पूर्व का आवंटन	11.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	12.200	
		अतिरिक्त आवंटन	2.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.500	
		कुल आवंटन	13.500	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	14.700	
5	गंगा पम्प नहर प्रमंडल , साहेबगंज	पूर्व का आवंटन	166.880	0.000	0.100	1.650	0.750	0.260	0.150	0.080	0.475	0.550	1.450	0.150	172.495	
		अतिरिक्त आवंटन	7.500	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	7.650	
		कुल आवंटन	174.380	0.000	0.100	1.650	0.800	0.260	0.150	0.080	0.475	0.550	1.550	0.150	180.145	
6	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची	पूर्व का आवंटन	204.000	0.000	0.200	0.200	0.750	0.000	0.150	0.100	0.500	4.300	1.250	0.150	211.600	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.025	0.320	0.000	0.000	0.345	
		कुल आवंटन	204.000	0.000	0.200	0.200	0.750	0.000	0.150	0.100	0.525	4.620	1.250	0.150	211.945	
7	जलपथ प्रमंडल सं.–1, चक्रधरपुर	पूर्व का आवंटन	164.900	0.000	0.000	0.900	0.700	0.850	0.000	0.050	0.550	1.000	0.000	0.000	168.950	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	
		कुल आवंटन	164.900	0.000	0.000	0.900	0.750	0.850	0.000	0.050	0.550	1.000	0.000	0.000	169.000	
8	पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी देवघर	पूर्व का आवंटन	198.500	0.000	0.000	0.600	0.750	0.000	0.250	0.100	0.425	0.300	0.000	0.100	201.025	
		अतिरिक्त आवंटन	5.600	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	5.740	
		कुल आवंटन	204.100	0.000	0.000	0.700	0.750	0.000	0.250	0.140	0.425	0.300	0.000	0.100	206.765	
9	रूपांकण प्रमंडल सं.–4, देवघर	पूर्व का आवंटन	103.400	0.100	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	104.450	
		अतिरिक्त आवंटन	2.570	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.570	
		कुल आवंटन	105.970	0.100	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	107.020	

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि0)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2016–2017		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49N270103001 070101	49N270103001 070110	49N270103001 070112	49N270103001 070213	49N27010300 1070315	49N2701030 01070316	49N270103001 070323	49N2701030 01070333	49N27010300 1070334	49N27010300 1070337	49N270103001 070442	49N270103001 070760		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	रूपांकण प्रमंडल सं.–2, रॉची	पूर्व का आवंटन	348.750	0.000	0.100	1.000	0.900	0.000	0.000	0.150	0.700	0.000	0.000	0.000	351.600	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.020	
		कुल आवंटन	348.750	0.000	0.100	1.000	0.900	0.000	0.000	0.170	0.700	0.000	0.000	0.000	351.620	
11	विशेष भू–अर्जन पदा0, रॉची	पूर्व का आवंटन	323.000	2.000	0.700	1.100	0.850	1.300	0.300	0.100	0.950	0.000	1.150	0.250	331.700	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	
		कुल आवंटन	323.000	2.000	0.700	1.100	0.850	1.300	0.300	0.100	0.950	0.000	1.350	0.250	331.900	
12	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	पूर्व का आवंटन	192.000	0.000	0.000	1.150	0.700	0.250	0.000	0.100	0.425	0.800	1.000	0.050	196.475	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.440	
		कुल आवंटन	192.000	0.000	0.000	1.150	0.700	0.540	0.000	0.100	0.425	0.800	1.150	0.050	196.915	
13	सिंचाई प्रमंड़ल, दुमका	पूर्व का आवंटन	210.300	0.000	0.000	1.360	0.650	0.000	0.200	0.050	0.570	0.000	0.000	0.100	213.230	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.050	
		कुल आवंटन	210.300	0.000	0.000	1.360	0.650	0.000	0.200	0.000	0.570	0.000	0.000	0.100	213.180	
14	सिंचाई प्रमंड़ल, देवघर	पूर्व का आवंटन	303.000	0.000	0.300	1.100	0.750	0.000	0.000	0.100	0.750	0.750	1.050	0.000	307.800	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	
		कुल आवंटन	303.000	0.000	0.300	1.100	0.800	0.000	0.000	0.100	0.750	0.750	1.050	0.000	307.850	
15	सिंचाई प्रमंडल, नाला	पूर्व का आवंटन	85.000	0.000	0.000	0.350	0.400	0.000	0.000	0.050	0.200	0.200	0.000	0.000	86.200	
		अतिरिक्त आवंटन	6.500	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.540	
		कुल आवंटन	91.500	0.000	0.000	0.350	0.440	0.000	0.000	0.050	0.200	0.200	0.000	0.000	92.740	
16	सिंचाई प्रमंड़ल, पाकुड़	पूर्व का आवंटन	65.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.150	0.000	0.000	0.000	65.600	
		अतिरिक्त आवंटन	25.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	25.300	
		कुल आवंटन	90.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.050	0.250	0.000	0.000	0.000	90.900	
17	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया	पूर्व का आवंटन	119.000	0.450	0.000	1.000	0.700	0.000	0.250	0.000	0.525	0.000	0.000	0.450	122.375	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	
		कुल आवंटन	119.000	0.450	0.000	1.000	0.700	0.000	0.250	0.000	0.525	0.000	0.000	0.650	122.575	
18	सिंचाई प्रमंडल सं.–2, सिकटिया	पूर्व का आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.700	0.650	0.000	0.000	0.050	0.200	1.000	1.000	0.200	143.800	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.200	-0.150	
		कुल आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.700	0.700	0.000	0.000	0.050	0.200	1.000	1.000	0.000	143.650	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		53.670	0.000	0.250	0.630	0.490	0.290	0.040	0.010	0.125	0.320	1.050	0.000	56.875	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये छप्पन लाख सतासी हजार पाँच सौ मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

313
27-03-17

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव